

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
**9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली**

विधायक का नाम : श्री पवन शर्मा


दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 22

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पी.जी.एम.एस. के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को 27.02.2018 तक 454 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 36 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> पी.जी.एम.एस. के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक 454 के बजाय 450 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 34 शिकायतें लंबित थीं।
ख	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 33 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> पी.जी.एम.एस. के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक 28 शिकायतें लंबित थीं।
ग	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> इसके विभिन्न कारण हैं जैसे नीतिगत शिकायतों का निपटारा नीति बनाने के बाद ही किया जा सकता है जैसे स्टेट नेमिंग अथॉरिटी में लम्बित शिकायतों का निपटारा स्टेट नेमिंग अथॉरिटी कमेटी ही कर सकती है इस तरह की शिकायतों/प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न विभागों से आवश्यक रिपोर्ट लेने के उपरान्त शिकायतों का निस्तारण एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ही होता है जिसपर स्टेट नेमिंग अथॉरिटी की बैठक में ही लम्बित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है।  जैसे अनाधिकृत कॉलोनियों से सम्बन्धित शिकायतें अनाधिकृत कॉलोनियों की नीति जोकि हमारे विभाग द्वारा मसौदित होती है तथा अन्तिम रूप भारत सरकार देती है के अनुसार ही निपटाई जाती हैं इस तरह की शिकायतों में कोई आखिरी नीति नहीं बनने के कारण शिकायतें लोगों की इच्छानुसार नहीं निपटाई जा सकती हैं जैसे कि वन विभाग की भूमि पर बसी कॉलोनियों के विकास कार्य से सम्बन्धित शिकायतें इत्यदि। इसी तरह जहां नीतिगत निर्णय लेने होते हैं वहां कई शिकायतों के निपटारे से सभी संतुष्ट नहीं होते।
घ	क्या यह भी सत्य है कि 275 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> जी हां, कुछ हद तक नियमों की अनिवार्यता तथा प्रक्रिया के कारण निस्तारण में विलम्ब संभव है या कभी-कभी नियमानुसार शिकायत पर कार्यवाही करना संभव नहीं होता।

ड	यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> जैसे-जैसे नीतियां निर्धारित होती हैं या आवश्यक रिपोर्ट/नियमावली प्राप्त होती हैं उपरोक्त शिकायतों को निपटाने का प्रयास किया जाता है जैसे राजीव गांधी आवास योजना के मकानों के आवंटन से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण ।
च	क्या यह सत्य है कि इन शिकायतों को निपटाने के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> <b>च एवं छ</b> जी हां, समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं। तथा तुरंत उनकी अनुपालना की जाती है।
छ	इन शिकायतों को समय पर निपटाने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;	
ज	निवारण के लिए ये शिकायतें किन-किन अधिकारियों के पास और कब-कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> <b>ज एवं झ</b> चूंकि शहरी विकास विभाग/मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभाग, निकाय, बोर्ड, निगम व स्थानीय निकाय(जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली छावनी परिषद् इत्यदि) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है अतः जो भी शिकायत शहरी विकास विभाग के पास प्राप्त होती है उसको तुरंत सम्बन्धित निकायों, बोर्डों तथा निगमों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। सभी निकायों के अपने शिकायत निवारण प्रबन्ध/व्यवस्था हैं अतः सम्बन्धित अधिकारियों का नाम व तिथि का विवरण देना संभव नहीं है। हालांकि सभी निकाय बोर्ड तथा निगम तुरंत आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
झ	संबन्धित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और	
ञ	इन शिकायतों का निपटारा कितने समय में हो जाएगा ?	<b>पी.जी.एम.एस. (शहरी विकास)</b> इन सभी शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द नियमानुसार करने का प्रयास किया जाता है।

  
**R. S. Parmar**  
 Dy. Secy. (Urban Development)  
 Govt. of NCT of Delhi  
 Delhi Secretariat

### पूरक सामग्री

इसके विभिन्न कारण हैं जैसे नीतिगत शिकायतों का निपटारा नीति बनाने के बाद ही किया जा सकता है जैसे स्टेट नेमिंग अथॉरिटी में लम्बित शिकायतों का निपटारा स्टेट नेमिंग अथॉरिटी कमेटी ही कर सकती है इस तरह की शिकायतों/प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न विभागों से आवश्यक रिपोर्ट लेने के उपरान्त शिकायतों का निस्तारण एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ही होता है जिसपर स्टेट नेमिंग अथॉरिटी की बैठक में ही लम्बित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है। जैसे अनाधिकृत कॉलोनियों से सम्बन्धित शिकायतें अनाधिकृत कॉलोनियों की नीति जोकि हमारे विभाग द्वारा मसौदित होती है तथा अन्तिम रूप भारत सरकार देती है के अनुसार ही निपटाई जाती हैं इस तरह की शिकायतों में कोई आखिरी नीति नहीं बनने के कारण शिकायतें लोगों की इच्छानुसार नहीं निपटाई जा सकती हैं जैसे कि वन विभाग की भूमि पर बसी कॉलोनियों के विकास कार्य से सम्बन्धित शिकायतें इत्यदि। इसी तरह जहां नीतिगत निर्णय लेने होते हैं वहां कई शिकायतों के निपटारे से सभी संतुष्ट नहीं होते। जी हां, कुछ हद तक नियमों की अनिवार्यता तथा प्रक्रिया के कारण निस्तारण में विलम्ब संभव है या कभी-कभी नियमानुसार शिकायत पर कार्यवाही करना संभव नहीं होता। जैसे-जैसे नीतियां निर्धारित होती हैं या आवश्यक रिपोर्ट/नियमावली प्राप्त होती हैं उपरोक्त शिकायतों को निपटाने का प्रयास किया जाता है जैसे राजीव गांधी आवास योजना के मकानों के आवंटन से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण। चूंकि शहरी विकास विभाग/मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभाग, निकाय, बोर्ड, निगम व स्थानीय निकाय(जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली छावनी परिषद् इत्यदि) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है अतः जो भी शिकायत शहरी विकास विभाग के पास प्राप्त होती है उसको तुरंत सम्बन्धित निकायों, बोर्डों तथा निगमों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। सभी निकायों के अपने शिकायत निवारण प्रबन्ध/व्यवस्था हैं अतः सम्बन्धित अधिकारियों का नाम व तिथि का विवरण देना संभव नहीं है। हालांकि सभी निकाय बोर्ड तथा निगम तुरंत आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं।